इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 28] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 13 जुलाई 2018—आषाढ़ 22, शक 1940

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुर:स्थापित विधेयक,
(ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम,
(ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 13 जून 2018

क्र. ई-1-365-2017-5-एक.—श्री दीपक खांडेकर, भाप्रसे (1985), अध्यक्ष, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, मध्यप्रदेश भोपाल तथा अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग की सेवाएं भारत सरकार कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को सचिव, भारत सरकार, जनजातीय मामलों का मंत्रालय, नई दिल्ली के पद पर नियुक्ति के लिए को सौंपी जाती हैं.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2018.

भोपाल, दिनांक 15 जून 2018

क्र. ई-1-128-2018-5-एक.—भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली के मध्यप्रदेश भाप्रसे, संवर्ग की चयन सूची वर्ष 2012 में राज्य प्रशासनिक सेवा से पदोन्नति द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा में नियुक्त अधिकारियों की वरिष्ठता के पुनर्निर्धारण संबंधी आदेश क्र. 14014/3/2007-AIS -I, दिनांक 17 मई 2018 के आलोक में भारतीय प्रशासनिक सेवा में पदोन्नति द्वारा नियुक्त निम्न अधिकारीगण को भारत सरकार द्वारा उनकी पुनरीक्षित वरिष्ठता व पुनरीक्षित आवंटन वर्ष अनुसार उनके पुनरीक्षित आवंटन वर्ष से 09 वर्ष की सेवा को पूर्ण करने पर नीचे तालिका की कण्डिका 5 में अंकित तिथि से भाप्रसे अधिकारी कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (JAG) हेतु अर्ह हो गए हैं.

(2) अतः, राज्य शासन, निम्न अधिकारियों की पुनरीक्षित वरिष्ठता के क्रम में उनके पुनरीक्षित आवंटन वर्ष अनुसार नीचे तालिका के कॉलम (5) में उनके नाम के समक्ष अंकित काल्पनिक तिथि/वास्तिक तिथि से भाप्रसे (वेतन) नियमावली, 2007 के नियम 3 (i) के अन्तर्गत तत्समय विद्यमान कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड वेतनमान (रुपये 15600-39100+7600 ग्रेड पे) स्वीकृत करता है :—

स. क्र.	अधिकारी का नाम एवं वर्तमान आवंटन वर्ष	संशोधित आवंटन वर्ष (डीओपीटी के पुनरीक्षित वरिष्ठता आदेश दिनांक 17-05-2018 अनुसार)	पूर्व में स्वीकृत कनिष्ठ प्रशासनिक की तिथि	पुनरीक्षित वरिष्ठता क्रम में संशोधित कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड की अर्हता अनुसार निर्धारित तिथि/राप्रसे. से भाप्रसे में नियुक्ति दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	श्री पतिराम कतरौलिया (2005)	2004	22-12-2015	1-1-2013 (काल्पनिक तिथि) 22-12-2015 (वास्तविक तिथि)
2.	श्री अमर सिंह बघेल (2005)	2004	22-12-2015	1-1-2013 (काल्पनिक तिथि) 22-12-2015 (वास्तविक तिथि)

क्र. ई-1-156-2018-5-एक.—नीचे तालिका के खाना (2) में दर्शाये भाप्रसे अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना (3) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से, पदस्थ किया जाता है:—

क्र.	अधिकारी का नाम एवं वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना	खाना (3) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री अजीत केसरी (1990), प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पशुपालन विभाग.	प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, संसदीय कार्य विभाग.	-
2	श्री सभाजीत यादव (2006), उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग.	उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग.	-
3	श्री अनिल सुचारी (2006), कलेक्टर, जिला विदिशा	अपर प्रबंध संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल.	उपसचिव मध्यप्रदेश शासन
4.	श्रीमती भावना वालिम्बे (2008), कलेक्टर, जिला रायसेन.	अपर प्रबंध संचालक, म. प्र. पर्यटन बोर्ड, भोपाल.	उपसचिव मध्यप्रदेश शासन

(1)	(2)	(3)	(4)
5.	श्री राकेश श्रीवास्तव (2009), उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग.	कलेक्टर, जिला नीमच.	-
6.	श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह (2010) कलेक्टर, जिला नीमच.	कलेक्टर, जिला विदिशा.	-
7.	श्रीमती षणमुख प्रिया मिश्रा (2010), अपर आयुक्त, वाणिज्यिक कर, इन्दौर.	कलेक्टर, जिला रायसेन.	-
8.	श्री संदीप कुमार माकिन (2010) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, दतिया.	अपर आयुक्त, परिवहन, ग्वालियर.	-
9.	श्री आशीष भार्गव (2012) अपर आयुक्त, नगरपालिक निगम, भोपाल.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, दतिया.	-
10.	श्री दिलीप कुमार यादव (2014) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अमरपाटन (सतना).	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, डिण्डोरी.	-

(2) उपरोक्तानुसार श्री अजीत केसरी, भाप्रसे (1990) के प्रमुख सचिव, संसदीय कार्य विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती वीरा राणा (1988), प्रमुख सचिव, कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग तथा प्रमुख सचिव, संसदीय कार्य विभाग (अति. प्रभार) केवल संसदीय कार्य विभाग के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगी.

(3) उपरोक्तानुसार श्री प्रमोद अग्रवाल (1991) प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश, जल निगम को अपने कर्तव्यों के साथ-साथ प्रमुख सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है.

(4) उपरोक्तानुसार श्री प्रमोद अग्रवाल (1991) प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश, जल निगम के उपरोक्तानुसार प्रमुख सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग का अतिरिक्त प्रभार ग्रहण करने पर श्री मनीष रस्तोगी, (1994) प्रमुख सचिव, राजस्व एवं प्रमुख राजस्व आयुक्त, संचालक, आर. सी. व्ही. पी. नरोन्हा, प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी तथा प्रमुख सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (अति. प्रभार) केवल प्रमुख सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) उपरोक्तानुसार श्री के. सी. गुप्ता, (1992) प्रमुख सचिव, सहकारिता विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ प्रमुख सचिव, पशुपालन विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है.

(6) उपरोक्तानुसार श्री हरिरंजन राव (1994), वि.क.अ.-सह-आयुक्त, पर्यटन एवं प्रमुख सचिव, पर्यटन विभाग, लोक सेवा प्रबंधन विभाग तथा प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री एवं प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग तथा प्रमुख सचिव, विमानन विभाग (अतिरिक्त प्रभार), केवल प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग के प्रभार से मुक्त होंगे.

भोपाल, दिनांक 18 जून, 2018

क्र. ई-1-160-2018-5-एक.—श्री गौतम सिंह, भाप्रसे (2011), मुख्य कार्यपालन अधिकारी, इंदौर विकास प्राधिकरण की सेवाएं नगरीय विकास एवं आवास विभाग से वापिस लेकर स्कूल शिक्षा विभाग को सौंपते हुए उन्हें अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न अपर प्रबंध संचालक, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, भोपाल पदस्थ किया जाता है.

(2) उपरोक्तानुसार श्री गौतम सिंह द्वारा अपर प्रबंध संचालक, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से राज्य शासन, भाप्रसे (वेतन) नियमावली 2016 के नियमों के अंतर्गत अपर प्रबंध संचालक, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, भोपाल के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में ऊपर दर्शित नियमों में सम्मिलित उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है.

भोपाल, दिनांक 19 जून, 2018

क्र. ई-1-155-2018-5-एक.—श्री अजीत कुमार, भाप्रसे (2002), आयुक्त, उच्च शिक्षा तथा परियोजना संचालक, राष्ट्रीय उच्च शिक्षा मिशन को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ, आगामी आदेश तक, पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग भी घोषित किया जाता है.

क्र. ई-1-161-2018-5-एक.—श्री छोटे सिंह, भाप्रसे (2010) उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ, आगामी आदेश तक, संचालक, महिला सशक्तिकरण, मध्यप्रदेश का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.

क्र. ई-5-1024-आयएएस-लीव-5-(एक).—(1) श्री रमेश भण्डारी, आयएएस., कलेक्टर, जिला छतरपुर को दिनांक 22 से 27 जून 2018 तक छ: दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) श्री रमेश भण्डारी की अवकाश अवधि में श्री हर्ष दीक्षित, भाप्रसे, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, जिला छतरपुर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक, कलेक्टर, जिला छतरपुर का प्रभार सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री रमेश भण्डारी, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला छतरपुर के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री रमेश भण्डारी द्वारा कलेक्टर, जिला छतरपुर का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री हर्ष दीक्षित, भाप्रसे, कलेक्टर, जिला छतरपुर के प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री रमेश भण्डारी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री रमेश भण्डारी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई-5-1093-आयएएस-लीव-5-(एक).—(1) श्री संजय कुमार मिश्र, आयएएस., संयुक्त आवासीय आयुक्त, मध्यालोक भवन, मुम्बई को दिनांक 20 अगस्त से 14 सितम्बर 2018 तक छब्बीस दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 18, 19 अगस्त 2018 एवं 15, 16 सितम्बर 2018 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री संजय कुमार मिश्र को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न संयुक्त आवासीय आयुक्त, मध्यालोक भवन, मुम्बई के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री संजय कुमार मिश्र को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री संजय कुमार मिश्र अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 21 जून, 2018

क्र. ई-1-05-2018-5-एक.—नीचे तालिका के खाना (2) में दर्शाये भाप्रसे अधिकारी को मुख्य सचिव वेतनमान रुपये 2,25,000 निश्चित वेतन (पे मेट्रिक्स-17) में पदोन्नत करते हुए उनके नाम के समक्ष खाना (3) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से, पदस्थ किया जाता है:—

तालिका

क्र.	अधिकारी का नाम एवं वर्तमान पदस्थापना	मुख्य सचिव वेतनमान में पदोन्नति पर पदस्थापना	खाना (3) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव (1987) प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्यिक कर, संस्कृति, धार्मिक, न्यास एवं धर्मस्व विभाग तथा आयुक्त-सह-संचालक, स्वराज संस्थान, न्यासी सचिव, भारत भवन (अति. प्रभार).	अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्यिक कर, संस्कृति, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग तथा आयुक्त-सह-संचालक स्वराज संस्थान, न्यासी सचिव, भारत भवन एवं अध्यक्ष, प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड, मध्यप्रदेश (अति. प्रभार).	अध्यक्ष राजस्व मंडल.

क्र. ई-5-835-आयएएस-लीव-5-(एक).—(1) श्री कवीन्द्र कियावत, आयएएस., आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल को दिनांक 4 से 6 जुलाई 2018 तक तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री कवीन्द्र कियावत को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री कवीन्द्र कियावत को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री कवीन्द्र कियावत अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई-5-846-आयएएस-लीव-5.—(1) श्रीमती रेनू तिवारी, आयएएस. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम, भोपाल को दिनांक 4 से 14 जून 2018 तक ग्यारह दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाशकाल में श्रीमती रेनू तिवारी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती रेनू तिवारी अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बसंत प्रताप सिंह, मुख्य सचिव.

भोपाल, दिनांक 23 जून 2018

क्र. एफ ए 6-34-2015-एक (1).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 316(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, श्री भास्कर कुमार चौबे, सदस्य (कार्यवाक अध्यक्ष) मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग को मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष पद पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त करते हैं.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. कातिया, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 18 जून 2018

क्र. ई-5-570-आयएएस-लीव-एक-5.—(1) श्री अजीत केसरी, भाप्रसे, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पशुपालन विभाग को दिनांक 13 जून 2018 को एक दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाशकाल में श्री अजीत केसरी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अजीत केसरी अवकाश पर नही जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 21 जून 2018

क्र. ई-5-565-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती गौरी सिंह, भाप्रसे (1987) प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग को समसंख्यक आदेश दिनांक 28 अप्रैल 2018 द्वारा दिनांक 15 से 30 जून 2018 तक सोलह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, एतद्द्वारा द्वारा निरस्त किया जाता है.

क्र. ई-5-826-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती जी. व्ही. रश्मि, आयएएस., मुख्य कार्यपालन अधिकारी, महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद् को समसंख्यक आदेश दिनांक 6 अप्रैल 2018 द्वारा दिनांक 28 मई से 6 जून 2018 तक दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, मैं आंशिक संशोधन करते हुए अब उन्हें दिनांक 28 मई से 8 जून 2018 तक बारह दिन का संशोधित/पुनरीक्षित अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 27 मई एवं 9, 10 जून 2018 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की भी अनुमति प्रदान की जाती है..

(2) अवकाशकाल में श्रीमती जी. व्ही. रश्मि को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती जी. व्ही. रश्मि, अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
फजल मोहम्मद, अवर सचिव "कार्मिक".

गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 22 जून 2018

क्र. एफ 1(बी) 159-16-बी-4-दो.—राज्य सेवा परीक्षा 2014 के माध्यम से मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इंदौर के पत्र क्र. 3904/81/2016/चयन, दिनांक 31 मई 2018 द्वारा उप पुलिस अधीक्षक के पद पर अनुपूरक सूची के वरिष्ठता क्र. 08 (अनुक्रमांक 198255) (अपिव-महिला) पर चयनित सुश्री फरहीन खान, पुत्री श्री मुईद खान,

प्लाट नंबर-401, नर्मदानगर कालोनी, आधारताल, जबलपुर मध्यप्रदेश 482004 द्वारा दिनांक 26 नवम्बर 2017 को गृह विभाग को लिखित में यह सूचित किया है कि राज्य सेवा परीक्षा 2015 में उप जिलाध्यक्ष के पद पर चयनोपरांत वे उक्त पद पर ज्वाईन करेंगी और उप पुलिस अधीक्षक के पद पर ज्वाईन नहीं करेंगी अत: उक्त पद पर उनका चयन निरस्त कर प्रतीक्षा सूची के अन्य प्रतिभागी को लाभ दिये जाने की कार्यवाही की जाये.

(2) राज्य शासन द्वारा सुश्री फरहीन खान के लिखित आवेदन पत्र दिनांक 26 नवम्बर 2017 के अनुसार उप पुलिस अधीक्षक के पद पर से उम्मीदवारी वापस लिये जाने के आधार पर उप पुलिस अधीक्षक के पद पर अनुपूरक सूची से इनकी नियुक्ति संबंधी दावा सदैव के लिये समाप्त मान्य किया जाता है.

क्र. एफ 1(बी) 35-17-बी-4-दो.—राज्य सेवा परीक्षा 2015 के माध्यम से मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इंदौर के पत्र क्र. 3615/59/2016/चयन, दिनांक 28 मई 2018 द्वारा उप पुलिस अधीक्षक के पद पर अनुपूरक सूची के वरिष्ठता क्र. 04 (अनुक्रमांक 158741) (अनारक्षित-पुरूष) पर चयन उपरांत नियुक्ति हेतु अनुशंसित श्री अंकुर रवि गुप्ता, परिवीक्षाधीन उप जिलाध्यक्ष, आर. सी. व्ही. पी. नरोन्हा प्रशासनिक अकादमी, 103, हास्टल क्र. 02, म. प्र. भोपाल के द्वारा दिनांक 1 जून 2018 को गृह विभाग को लिखित में यह सूचित किया गया है कि राज्य सेवा परीक्षा 2017 उप जिलाध्यक्ष के पद पर चयनोपरांत वे वर्तमान में प्रशासन अकादमी, भोपाल में प्रशिक्षणरत हैं. अत: उप पुलिस अधीक्षक के पद पर ज्वाईन नहीं करेंगे अत: उक्त पद पर उनका चयन निरस्त कर प्रतीक्षा सूची के अन्य प्रतिभागी को लाभ दिये जाने की कार्यवाही की जाये.

(2) राज्य शासन द्वारा श्री अंकुर रवि गुप्ता के लिखित आवेदन पत्र दिनांक 1 जून 2018 के अनुसार उप पुलिस अधीक्षक के पद पर से उम्मीदवारी वापस लिये जाने के आधार पर उप पुलिस अधीक्षक के पद पर अनुपूरक सूची से इनकी नियुक्ति संबंधी दावा सदैव के लिये समाप्त मान्य किया जाता है.

संशोधित आदेश

भोपाल, दिनांक 27 जून 2018

क्र. एफ 1(ए) 120-1993-ब-2-दो.—राज्य शासन विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 5 जून 2018 के अनुक्रम में श्री के. बाबू राव, भापुसे, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, सामुदायिक पुलिसिंग, पुलिस मुख्यालय, भोपाल को परिवार सहित दिनांक 11 से 25 जून 2018 तक पन्द्रह दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 9-10 जून 2018 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ खण्डवर्ष 2018-21 के विस्तार वर्ष 2018 में गृह नगर गुंटूर (आन्ध्रप्रदेश) जाने की अनुमति के साथ दस दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान करता है.

(2) आदेश की शेष कंडिकायें यथावत्.

संशोधित आदेश

क्र. एफ 1(ए) 398-1988-ब-2-दो.—राज्य शासन विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 1 जून 2018 को निरस्त करते हुए डॉ. विजय कुमार, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, अग्निशमन सेवाएं, पु. मु. भोपाल को दिनांक 29 जून से 13 जुलाई 2018 तक, पन्द्रह दिवस अर्जित अवकाश एवं 14-15 जुलाई 2018 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृति प्रदान करता है.

(2) डॉ. विजय कुमार, भापुसे, की अवकाश अवधि में उनका चालू कार्य श्री डी. सी. सागर, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक (तकनीकी सेवाएं) पु. मु., भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ सम्पादित किया जावेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर डॉ. विजय कुमार, भापुसे को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न अति. पुलिस महानिदेशक, अग्निशमन सेवाएं, पु. मु. भोपाल के पद पुन: पदस्थ किया जाता है.

(4) डॉ. विजय कुमार, भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में डॉ. विजय कुमार, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. विजय कुमार, भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

भोपाल, दिनांक 29 जून 2018

क्र. एफ-1 (ए) 76-2009-ब-2-दो.—राज्य शासन द्वारा श्री ललित शाक्यवार, भापुसे, तत्का. पुलिस अधीक्षक, रीवा वर्तमान में सेनानी 6वीं वाहिनी विसबल, जबलपुर को स्वयं के स्वास्थ्य खराब हो जाने के कारण दिनांक 24 अप्रैल से 15 मई 2018 तक बीस दिवस लघुकृत अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है.

(2) उक्त अवकाश के उपभोग के एवज में लघुकृत अवकाश खाते से 40 दिवस का अर्धवैतनिक अवकाश घटाया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री ललित शाक्यवार, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री ललित शाक्यवार, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
श्रीदास, अवर सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 28 जून 2018

पंजी क्र. 2946-2018-इक्कीस-ब-(एक).—राज्य शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग में सचिव के पद पर प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारी श्री आर. के. वाणी, सचिव, विधि एवं विधायी कार्य विभाग की सेवाएं उनके द्वारा कार्यभार सौंपने के दिनांक से वापस कर मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय, जबलपुर को सौंपता है.

भोपाल, दिनांक 29 जून 2018

पंजी क्र. 2374-2018-इक्कीस-ब-(एक).—राज्य शासन, उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर उच्चतर न्यायिक सेवा की अधिकारी, श्रीमती रश्मि अग्रवाल, अतिरिक्त सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश होने तक, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग के पद पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सत्येन्द्र कुमार सिंह, प्रमुख सचिव.

उद्योग नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 22 जून 2018

क्र. एफ-16-16-2017-ए-ग्यारह.—राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया कि मध्यप्रदेश उद्योग संवर्धन नीति 2014 (यथासंशोधित 2017) के अनुक्रम में लॉजिस्टिक एवं वेयरहाउसिंग हब/पार्क को विशेष वित्तीय सहायता एवं अन्य सुविधाएं एवं उस हेतु निहित नियम/ प्रक्रिया निम्नानुसार स्वीकृत की जाती है:—

1. **परिभाषा.**—लॉजिस्टिक एवं वेयरहाउसिंग हब/पार्क से अभिप्रेत है कि मध्यप्रदेश के किसी भी जिले में स्थापनाधीन/प्रस्तावित ऐसी इकाई जिसके द्वारा लॉजिस्टिक एवं वेयरहाउसिंग अधोसंरचना विकसित की जा रही हो तथा एमपी ट्रायफेक वेबसाईट में निवेश आश्रय प्रस्ताव दर्ज किया गया हो तथा उद्योग संवर्धन नीति, 2014 (यथासंशोधित अक्टूबर, 2017) के अनुक्रम में इस विशेष वित्तीय सहायता हेतु जारी अधिसूचना दिनांक को या उसके पश्चात् वाणिज्यिक परिचालन प्रारंभ किया हो.

यह भी कि लॉजिस्टिक एवं वेयरहाउसिंग हब पार्क में मैकेनाईज्ड मेटेरियल हैंडलिंग उपकरण, प्रसंस्कृत उत्पाद (secondary produce) का भण्डारण एवं अन्य संबंधित व्यापारिक एवं वाणिज्यिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हों तथा इसके अंतर्गत अधोसंरचना यथाआंतरिक सड़क, विद्युत् एवं जल आपूर्ति, संचार सेवा, सीवेज एवं ड्रेनेज सुविधा इत्यादि का स्पष्ट प्रावधान किया गया हो. यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त भंडारण में प्राथमिक कृषि उत्पाद सम्मिलित नहीं होंगे.

2. **विशिष्ट वित्तीय सहायता/रियायत/सुविधाओं का विवरण.**—2.1 **निवेश सहायता**—भूमि लागत को छोड़कर भवन (जिसमें रिहायशी मकान शामिल नहीं होंगे) निर्माण में आने वाले समस्त व्यय एवं यंत्र-संयंत्र में स्थाई पूंजी निवेश पर 15% अधिकतम रु. 15 करोड़. यंत्र-संयंत्र अन्तर्गत समस्त हैण्डलिंग उपकरण, नाप-तौल संबंधी उपकरण, सुरक्षा उपकरण, जनरेटर सेट, प्रदूषण नियंत्रण उपकरण, अनुसंधान एवं विकास उपकरण, ट्रांसफार्मर, आवश्यक रख-रखाव संबंधी उपकरण इत्यादि सम्मिलित होंगे.

2.2 **स्टॉम्प ड्यूटी एवं पंजीयन शुल्क की प्रतिपूर्ति.**—लॉजिस्टिक एवं वेयरहाउसिंग हब/पार्क हेतु वित्तीय संस्थाओं/बैंक से लिये जाने वाले ऋण को प्रतिभूत करने के लिये हक विलेखों के निक्षेप से संबंधित करार की लिखतों पर एवं क्रय की गयी भूमि पर चुकाए गए स्टाम्प ड्यूटी एवं पंजीयन शुल्क की शत-प्रतिशत प्रतिपूर्ति.

2.3 **विद्युत् शुल्क से छूट.**—विनिर्माण इकाइयों के समान सभी पात्र लॉजिस्टिक एवं वेयरहाउसिंग हब/पार्क को राज्य की विद्युत् वितरण कंपनियों से नवीन उच्चदाब संयोजन प्राप्त किए जाने पर विद्युत् शुल्क से निम्नानुसार छूट शर्तों के अध्याधीन दी जावेगी:—

- ✦ 33 केव्ही कनेक्शन के लिए 5 वर्षों के लिए.
- ✦ 132 केव्ही कनेक्शन के लिए 7 वर्षों के लिए.
- ✦ 220 केव्ही कनेक्शन के लिए 10 वर्षों के लिए.

2.4 **अधोसंरचना विकास सहायता.**—पात्र लॉजिस्टिक एवं वेयरहाउसिंग हब/पार्क को निम्न स्वरूप में अधोसंरचना विकास सहायता प्रदान की जावेगी:—

"परियोजना अन्तर्गत बाह्य सड़क/रेल अधोसंरचना विकास (परियोजना स्थल तक पहुंचने हेतु) के लिए व्यय की गयी राशि का 50% अधिकतम रु. 1 करोड़ रुपये की सीमा तक सहायता दी जाएगी."

2.5 **भू-उपयोग संबंधी सुविधाएं 2.5.1. फ्लोर एरिया रेशो (FAR) एवं ग्राउण्ड कवरेज (GC).**—लॉजिस्टिक एवं वेयरहाउसिंग हब/पार्क को निवेश तथा निवेश क्षेत्र के बाहर एफएआर तथा ग्राउण्ड कवरेज की निम्नानुसार अनुमति दी जावेगी:—

(अ) निवेश क्षेत्र में लॉजिस्टिक एवं वेयरहाउसिंग हेतु भू-उपयोग संबंधी मापदण्ड—

(A) NORMS FOR LOGISTICS & WEREHOUSING IN THE PLANNING AREA—

भूमि उपयोग में स्वीकार्यता (Permissibility in land use)	विकास के मापदण्ड (Development Norms)			पहुंच मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई (मीटर में)
	न्यूनतम क्षेत्रफल (हेक्येटर में) Maximum Area (in Hect.)	अधिकतम भू-आच्छादित क्षेत्र Maximum Ground Coverage	अधिकतम फर्शी क्षेत्र अनुपात Maximum Floor Area Ration (FAR)	Maximum width of approach road (in meter)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. औद्योगिक भूमि	1.00	60%	1:0.60	12
2. कृषि भूमि	2.00	60%	1:0.60	12

उपरोक्त के अतिरिक्त भूखण्ड के चारों और न्यूनतम 6.0 मीटर का एम. ओ. एस. रखा जाना आवश्यक होगा.

(ब) निवेश क्षेत्र के बाहर लॉजिस्टिक एवं वेयरहाउसिंग पार्क हेतु भू-उपयोग संबंधी मापदण्ड

(B) NORMS FOR LOGISTICS & WAREHOUSING SITUATED OUT SIDE THE PLANNING AREA—

स्वीकार्यता Permissible locations	विकास के मापदण्ड (Development Norms)			पहुंच मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई (मीटर में)
	न्यूनतम क्षेत्रफल (हेक्येटर में) Maximum Area (in Hect.)	अधिकतम भू-आच्छादित क्षेत्र Maximum Ground Coverage	अधिकतम फर्शी क्षेत्र अनुपात Maximum Floor Area Ration (FAR)	Maximum width of approach road (in meter)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. आबादी क्षेत्र से बाहर Out side Habitat Areas.	2.00	60%	1:0.60	12

उपरोक्त के अतिरिक्त भूखण्ड के चारों और न्यूनतम 6.0 मीटर का एम. ओ. एस. रखा जाना आवश्यक होगा.

2.5.2 **औद्योगिक क्षेत्र में भूमि आवंटन.**—लॉजिस्टिक एवं वेयरहाउसिंग हब/पार्क को विभाग द्वारा विकसित/विकसित किये जा रहे औद्योगिक क्षेत्रों में औद्योगिक प्रयोजन हेतु निर्धारित भूमि के मूल्य पर "पहले आओ पहले पाओ" के आधार पर भूमि आवंटित की जावेगी. इस हेतु मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक भूमि तथा भवन प्रबंधन नियम, 2015 (यथोसंशोधित 2016) को इस आशय तक संशोधित माना जावेगा.

3. **विशिष्ट वित्तीय सहायता/रियायत हेतु निर्धारित शर्तें.**—3.1 नगर तथा ग्राम निवेश कार्यालय से अनुमोदित ले-आउट प्लान.

3.2 लॉजिस्टिक एवं वेयरहाउसिंग पार्क के विकास हेतु भूमि का न्यूनतम क्षेत्रफल निम्नानुसार आवश्यक होगा:—

✦ **निवेश क्षेत्रान्तर्गत**—

➢ औद्योगिक क्षेत्र में न्यूनतम 1 हेक्टेयर.
➢ कृषि क्षेत्र (निवेश क्षेत्र के अन्दर) में न्यूनतम 2 हेक्टेयर.

✦ **निवेश क्षेत्र के बाहर**—न्यूनतम 2 हेक्टेयर.

3.3 7 वर्ष तक संचालन/संधारण आवश्यक अन्यथा दी गयी सुविधाओं की वसूली की जावेगी.

3.4 प्रस्तावित लॉजिस्टिक पार्क को स्वीकृति दिनांक से 3 वर्ष के अन्दर संचालन प्रारंभ करना अनिवार्य होगा.

3.5 समस्त वैधानिक अनुमतियां/सम्मतियां प्राप्त की गई हों.

4. **लॉजिस्टिक एवं वेयरहाउसिंग हब/पार्क को विशेष वित्तीय सहायता/रियायत/सुविधा की प्रभावशीलता, विस्तार एवं स्पष्टीकरण:**—प्रस्ताव अन्तर्गत अनुमोदित विशेष वित्तीय एवं अन्य सुविधाओं का लाभ इस परिप्रेक्ष्य में आदेश जारी होने की दिनांक से 31 मार्च, 2022 तक लॉजिस्टिक एवं वेयरहाउसिंग हब/पार्क का संचालन प्रारंभ करने वाली इकाईयों को निहित शर्तों के अध्याधीन प्राप्त होगा.

इस विशेष वित्तीय सहायता अन्तर्गत लाभ प्राप्त करने वाली परियोजनाओं को उद्योग संवर्धन नीति, 2014 (यथासंशोधन अक्टूबर, 2017) तथा राज्य शासन की अन्य निवेश नीतियों के अन्तर्गत घोषित सुविधाओं के अन्य लाभ प्राप्त करने की पात्रता नहीं होगी. किन्तु ऐसी परियोजनाएं ग्राहक अपेक्षित पैकेज (customized package of incentives) हेतु निर्धारित प्रक्रिया अनुसार निवेश संवर्धन पर मंत्रि-परिषद् समिति के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर सकेंगी.

5. **संशोधन, शिथिलीकरण/निरसन की शक्तियां.**—लॉजिस्टिक एवं वेयरहाउसिंग हब/पार्क को विशेष वित्तीय सुविधाएं अन्तर्गत प्रावधानों में किसी बात के होते हुए भी मध्यप्रदेश शासन, उद्योग नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग किसी भी समय—

5.1 इसे संशोधित अथवा निरस्त कर सकेगा.

5.2 इसके प्रावधानों को लागू करने में शिथिलीकरण कर सकेगा.

5.3 इसके क्रियान्वयन को सुगम बनाने की दृष्टि से अथवा विसंगति दूर करने एवं निहित प्रावधानों की व्याख्या करने के लिए निर्देश एवं मार्गदर्शन प्रसारित कर सकेगा.

6. लॉजिस्टिक एवं वेयरहाउसिंग हब/पार्क अन्तर्गत विशेष वित्तीय सहायता/रियायत अन्तर्गत समस्त देय सुविधाओं का निराकरण एमपी ट्रायफेक द्वारा उद्योग संवर्धन नीति, 2014 (यथासंशोधित अक्टूबर, 2017) अन्तर्गत जारी मध्यप्रदेश निवेश प्रोत्साहन योजना, 2014 (यथासंशोधित जनवरी, 2018) में निहित प्रक्रिया एवं शर्तों के अध्याधीन किया जावेगा.

क्र. एफ-16-18-2017-ए-ग्यारह.—राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया कि जीएसटी व्यवस्था लागू होने पर निवेश परियोजनाओं को उद्योग नीति अन्तर्गत स्वीकृत/प्रावधानित सुविधाओं का लाभ निरंतर दिए जाने के संबंध में सुझाव देने हेतु गठित त्रि-स्तरीय समिति द्वारा की गई अनुशंसा के अनुरूप निवेश परियोजनाओं को उद्योग नीति अन्तर्गत स्वीकृत/प्रावधानित सुविधाओं का लाभ निम्न स्वरूप में दिया जावे:—

1. प्रत्येक इकाई को टैक्स प्रतिपूर्ति सहायता की पात्रता अवधि तथा पात्रता की सीमा पूर्व निर्धारित अनुसार ही रहेगी. उदाहरण के लिए यदि किसी इकाई को प्लांट एवं मशीनरी में पूंजीनिवेश की 100% की सीमा में 07 वर्ष के लिए सहायता राशि की पात्रता आती है और वह 03 वर्ष तक सहायता ले चुकी है तो अब उसे केवल 04 वर्ष की शेष अवधि के लिये 100% की सीमा को यथावत् रखते हुए सहायता राशि की पात्रता आयेगी.

2. जीएसटी 01 जुलाई 2017 से लागू किया गया है जिससे यह स्पष्ट है कि वैट/सीएसटी वर्ष 2017-18 में पूरे वर्ष में लागू नहीं रहा है. सहायता राशि की गणना हेतु जीएसटी लागू होने के पूर्व के वर्षों में इकाई द्वारा किए गए विक्रय एवं इन वर्षों में इकाई को पात्रतानुसार दी जा सकने वाली सहायता को शेष वर्षों के लिए सहायता का आधार बनाया जायेगा.

   वास्तविक सहायता राशि = आधार राशि × टैक्स गणक × विक्रय गणक
   (आधार राशि, टैक्स गणक तथा विक्रय गणक आगे बताये अनुसार गणित होंगे).

3. सुविधा प्राप्त इकाई के उत्पाद पर पूर्व में वैट की दर एवं वर्तमान में जीएसटी प्रणाली अन्तर्गत उसी उत्पाद पर एसजीएसटी की दर आधार पर इकाई को देय प्रतिपूर्ति सहायता समानुपातिक रूप से कम की जायेगी.

$$\text{टैक्स गणक} = \frac{\text{एसजीएसटी दर}}{\text{वेट दर}}$$

स्पष्ट किया जाता है कि टैक्स गणक की अधिकतम वैल्यू "1" ही रहेगी.

4. विक्रय गणक आवेदित वर्ष में विक्रय तथा औसत विक्रय के आधार पर गणित किया जायेगा. स्पष्ट किया जाता है कि इस गणना हेतु विक्रय में निर्यात एवं स्टॉक ट्रान्सफर शामिल नहीं होंगे.

$$\text{विक्रय गणक} = \frac{\text{आवेदित वर्ष में विक्रय}}{\text{औसत विक्रय}}$$

5. ऐसी इकाइयों को जिनमें वाणिज्यिक उत्पादन दिनांक 31 मार्च, 2014 के पूर्व का है उनमें वर्ष 2014-15, 2015-16 तथा वर्ष 2016-17 में इकाई को उपलब्ध होने वाली वैट/सीएसटी सहायता प्रतिपूर्ति की औसत राशि को वर्ष 2017-18 एवम् आगामी शेष वर्षों के लिए उपलब्ध होने वाली सहायता की आधार राशि माना जायेगा. साथ ही इन्हीं तीन वर्षों के विक्रय के औसत को औसत विक्रय लिया जायेगा. वास्तविक सहायता राशि की गणना बिन्दु क्रमांक-2 अनुसार होगी.

6. ऐसी इकाइयाँ जिनमें वाणिज्यिक उत्पादन दिनांक 1 अप्रैल 2014 से 31 मार्च 2015 के बीच हुआ है, उनके लिए वर्ष 2017-18 तथा आगामी शेष वर्षों के लिए आधार राशि वर्ष 2015-16 तथा वर्ष 2016-17 में उपलब्ध होने वाली वैट/सीएसटी सहायता प्रतिपूर्ति राशि के औसत के बराबर होगी. औसत विक्रय का निर्धारण निम्नानुसार होगा:—

आवेदित वर्ष	औसत विक्रय
वर्ष 2017-18	2015-16 तथा 2016-17 का विक्रय
वर्ष 2018-19 तथा आगामी शेष वर्षों के लिए.	2015-16, 2016-17 तथा 2017-18 का औसत विक्रय.

7. ऐसी इकाइयों को जिनमें वाणिज्यिक उत्पादन दिनांक 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2016 के बीच हुआ है, उनको वर्ष 2016-17 के लिए देय/स्वीकृत सहायता राशि को वर्ष 2017-18 एवं आगामी वर्षों के लिये सहायता राशि का आधार राशि माना जायेगा. विक्रय गणक के लिये औसत विक्रय का निर्धारण निम्नानुसार होगा :—

आवेदित वर्ष	औसत विक्रय
वर्ष 2017-18	2016-17 का विक्रय
वर्ष 2018-19	2016-17 तथा 2017-18 का औसत विक्रय
वर्ष 2019-20 तथा आगामी शेष वर्षों के लिए.	2016-17, 2017-18 एवं 2018-19 का औसत विक्रय.

8. ऐसी औद्योगिक इकाइयाँ जिनमें 1 अप्रैल 2016 से 30 जून, 2017 की अवधि के मध्य में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ हुआ है, को वैट/सीएसटी सहायता के स्थान पर निम्न दो विकल्प उपलब्ध कराये जावेंगे :—

अ. जीएसटी व्यवस्था लागू होने के पश्चात् उद्योग संवर्द्धन नीति, 2014 में संशोधन उपरांत राज्य शासन के आदेश क्रमांक एफ 16-18/2013/बी-ग्यारह, भोपाल दिनांक 13-10-2017 में प्रावधान अनुसार निवेश प्रोत्साहन सहायता का लाभ (वैट/सीएसटी सहायता राशि के विकल्प के रूप में).

अथवा

ब. कंडिका 2 में उल्लेख अनुसार वास्तविक सहायता राशि. इस हेतु इकाई द्वारा उत्पादन दिनांक से 30-6-2017 के मध्य जमा किये गये वास्तविक वैट/सीएसटी को वर्ष 2017-18 तथा आगामी शेष अवधि के लिये सहायता हेतु यथानुपात (prorata) आधार पर आधार राशि माना जावेगा. उदाहरणत: अगर उत्पादन दिनांक 1-12-2016 है तो उसके द्वारा दिनांक 1-12-2016 से 30-6-2017 तक जमा किए गए टैक्स के आधार पर यथानुपात (prorata basis) पर वार्षिक जमा टैक्स को वर्ष 2017-18 तथा आगामी शेष वर्षों के लिए आधार राशि माना जावेगा. इस स्थिति में इन ईकाईयों के लिये वर्ष 2017-18 ही सहायता अवधि का प्रथम वर्ष होगा. विक्रय गणक की गणना के लिए औसत विक्रय निम्नानुसार होगा :—

आवेदित वर्ष		**औसत विक्रय**
वर्ष 2018-19	-	उत्पादन दिनांक से 30-6-2017 की अवधि में विक्रय का यथानुपात (prorata) के आधार पर औसत वार्षिक विक्रय - (A)
वर्ष 2019-20	-	उपरोक्त (A), एवं 2018-19 के विक्रय का औसत
वर्ष 2020-21 तथा आगामी शेष वर्षों के लिए	-	उपरोक्त (A), एवं 2018-19 तथा 2019-20 विक्रय का औसत

9. ऐसी औद्योगिक इकाइयाँ जिनमें 1 जुलाई 2017 से 31 मार्च, 2018 की अवधि के मध्य में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ हुआ है अथवा होना संभावित है, को वैट/सीएसटी सहायता के स्थान पर निम्न दो विकल्प उपलब्ध कराये जावेंगे :—

अ. जीएसटी व्यवस्था लागू होने के पश्चात् उद्योग संवर्द्धन नीति, 2014 में संशोधन उपरांत राज्य शासन के आदेश क्रमांक एफ-16-18/2013/बी-ग्यारह, भोपाल दिनांक 13-10-2017 में प्रावधान अनुसार निवेश प्रोत्साहन सहायता का लाभ.

अथवा

ब. वैट/सीएसटी सहायता एवं प्रवेश कर छूट के स्थान पर चुकाये गये नेट एसजीएसटी के समतुल्य सहायता. सहायता की पात्रता अवधि एवं पात्रता की सीमा पूर्व निर्धारित अनुसार ही रहेगी. इस स्थिति में इन ईकाईयों हेतु वर्ष 2018-19 को सहायता अवधि का प्रथम वर्ष माना जायेगा. नेट एसजीएसटी से अभिप्राय एसजीएसटी की ऐसी राशि से है जो अनुवर्ती संव्यवहारों के आधार पर आईजीएसटी के रूप में राज्य से बाहर नहीं गयी हो और राज्य के खजाने में अंतिम रूप से जमा हो गया हो.

10. उक्त प्रावधानानुसार सहायता स्वीकृत करने के पूर्व निवेशक से इस आशय का घोषणा-पत्र (Undertaking) लिया जावेगा कि वह इस वित्तीय सहायता संबंधी प्रावधान को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं देगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मोहम्मद सुलेमान, प्रमुख सचिव.

योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 25 जून 2018

क्र. 968-654-2018-तेईस-योआसां.—राज्य शासन द्वारा, मध्यप्रदेश जिला योजना समिति अधिनियम, 1995 संशोधित अधिनियम, 1999, की धारा 4 की उपधारा 3(ग) तथा संशोधित अध्यादेश 2005 की धारा 4(1) में प्रदत्त अधिकारों के तहत् नीचे दी गई सारणी के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट अशासकीय सदस्य को कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट जिले की जिला योजना समिति में तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक के लिये नाम निर्दिष्ट किया जाता है :—

सारणी

क्र.	अशासकीय सदस्य का नाम	जिला योजना समिति
(1)	(2)	(3)
1	श्री इकबाल सिंह गाँधी	उज्जैन
2	श्री श्याम बंसल	उज्जैन

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शैलबाला मार्टिन, उपसचिव.

श्रम विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 27 जून, 2018

क्र. 693-262-2018-ए-सोलह.—मध्यप्रदेश औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 (27 सन् 1960) की धारा 43 की उपधारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए. राज्य शासन, एतद्द्वारा, यह अधिसूचित करता है कि ग्वालियर के स्थानीय समाधानकर्ता को संदर्भित जे. बी. मंघाराम मजदूर संघ, ग्वालियर एवं प्रबंधक, जे. बी. मंघाराम फूड्स प्रा. लि., ग्वालियर के मध्य औद्योगिक विवाद में सम्मिलित और नीचे दी गई अनुसूची में उल्लेखित औद्योगिक विषयों के संबंध में कोई समझौता नहीं हो सका :—

अनुसूची

औद्योगिक विवाद क्रमांक 1/एम.पी.आई.आर./17

No. 693-262-2018-A-XVI.—In exercise of the powers conferred by sub-section (5) of Section 43 of the Madhya Pradesh Industrial Relations Act, 1960 (27 of 1960) the State Government, hereby, notifies that no settlement was arrived at in the Industrial Dispute between J. B. Mangharam Majdoor Sang, Gwalior and Manager J. B. Mangharam Foods Private Limited, Gwalior in regard to the Industrial matters included therein and specified in the Schedule below as referred to the Conciliator for the local area of Gwalior :—

SCHEDULE

Industrial Dispute No. 1/MPIR/17.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
भास्कर लाक्षाकार, उपसचिव.

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

सूचना

भोपाल, दिनांक 29 जून 2018

क्र. एफ-3-74-2017-अठारह-5.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, (संशोधित) 1973 (क्रमांक 1 सन् 2012), की धारा 23-''क'' की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा संचालक नगर तथा ग्राम निवेश की सूचना क्रमांक 1587-उपां-टीसी-105-2015, दिनांक 22 मार्च 2018 में अपेक्षित किये गये अनुसार प्रवर्तित इंदौर विकास योजना 2021 में उपांतरण की पुष्टि करती है. उपांतरण ब्यौरे निम्नानुसार है :—

अनुसूची

क्रमांक	ग्राम	खसरा क्र.	क्षेत्रफल हेक्टेयर में	विकास योजना में निर्दिष्ट भू-उपयोग	उपांतरण पश्चात् उपांतरित भू-उपयोग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	कैलोद कर्ताल	303	4.030	सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक तथा मार्ग	वाणिज्यिक के अन्तर्गत कृषि उपजमंडी एवं मार्ग
		309	0.607	सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक तथा मार्ग तथा आमोद प्रमोद के अन्तर्गत क्षेत्रीय उद्यान.	वाणिज्यिक के अन्तर्गत कृषि उपजमंडी मार्ग एवं आमोद प्रमोद के अन्तर्गत क्षेत्रीय उद्यान.
2	मांचला	11/1	0.886	सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक मार्ग तथा आमोद प्रमोद के अन्तर्गत क्षेत्रीय उद्यान.	वाणिज्यिक के अन्तर्गत कृषि उपजमंडी, मार्ग एवं आमोद प्रमोद के अन्तर्गत क्षेत्रीय उद्यान.
		11/2	0.202		
		12/1	3.865		
		कुल रकबा	9.59		

टीप.—मार्ग एवं आमोद प्रमोद के अन्तर्गत क्षेत्रीय उद्यान में निर्दिष्ट भूमि उपयोग पूर्ववत् रहेगा

1. उपरोक्त उपांतरण इंदौर विकास योजना 2021 को एकीकृत भाग होगा.

सूचना

भोपाल, दिनांक 2 जुलाई 2018

क्र. एफ-3-92-2018-अठारह-5.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, (संशोधित) 1973 (क्रमांक 1 सन् 2012), की धारा 23-''क'' की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा संचालक नगर तथा ग्राम निवेश की सूचना क्रमांक 1581-उपां-टीसी-06-2017, दिनांक 22 मार्च 2018 में अपेक्षित किये गये अनुसार प्रवर्तित भोपाल विकास योजना 2005 में उपांतरण की पुष्टि करती है. उपांतरण ब्यौरे निम्नानुसार है :—

अनुसूची

क्रमांक	ग्राम	खसरा क्र.	क्षेत्रफल हेक्टेयर में	विकास योजना में निर्दिष्ट भू-उपयोग	उपांतरण पश्चात् उपांतरित भू-उपयोग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	कोटरा सुल्तानाबाद	144/2, 147, 151, 152.	14.794 में से 2.023	वाणिज्यिक एवं मार्ग	सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक एवं 45 मीटर चौड़ा मार्ग.
		कुल रकबा	2.023		

शर्तें.—1. उपरोक्त उपांतरण भोपाल विकास योजना 2005 का एकीकृत भाग होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शुभाशीष बैनर्जी, उपसचिव.

सूचना

भोपाल, दिनांक 3 जुलाई 2018

क्र. एफ-3-31-2017-अठारह-5.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 19 की उपधारा (4) के अधीन एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि राज्य सरकार द्वारा भिण्ड निवेश क्षेत्र के लिये विकास योजना 2031 मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19(1) में अनुमोदित की गई है तथा योजना की प्रति का निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण किया जा सकेगा, अर्थात् :—

1. आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना, मध्यप्रदेश
2. कलेक्टर, जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश
3. मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका परिषद्, भिण्ड, मध्यप्रदेश.
4. सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, भिण्ड, मध्यप्रदेश.

2. यह विकास योजना मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19 की उपधारा (5) के प्रावधान अनुसार राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवर्तित होगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शुभाशीष बैनर्जी, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 3 जुलाई 2018

क्र. एफ-3-31-2017-अठारह-5.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, नगरीय विकास एवं आवास की सूचना क्र. एफ-3-31-2017-अठारह-5, दिनांक 3 जुलाई 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शुभाशीष बैनर्जी, उपसचिव.

NOTICE

Bhopal, dated 3rd July 2018

No. F-3-31-2017-XVIII-5.—Notice under section 19(4) of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 is hereby given that the State Government has approved the Development Plan 2031 for Bhind Planning Area, under sub-section (1) of Section 19 of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973), and a copy of the said plan may be inspected at the following offices during office hours, namely :—

1. Commissioner, Chambal Division, Bhind, Madhya Pradesh.
2. Collector, Bhind, Distt. Bhind, Madhya Pradesh.
3. Chief Municipal Officer, Nagar Palika Parishad Bhind, Madhya Pradesh.
4. Assistant, Director, Town & Country Planning, Distt. office Bhind, Madhya Pradesh.

2. The said development plan shall come into operation with effect from of publication of this notice in Madhya Pradesh, Gazette under section 19(5) of Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
SHUBHASHISH BANERJEE, Dy. Secy.

सूचना

भोपाल, दिनांक 4 जुलाई 2018

क्र. एफ-3-04-2017-अठारह-5.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, (संशोधित) 1973 (क्रमांक 1 सन् 2012), की धारा 23-"क" की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा संचालक नगर तथा ग्राम निवेश की सूचना क्रमांक 1859-उपां-टीसी-07-देवास-2017, दिनांक 3 अप्रैल 2018 में अपेक्षित किये गये अनुसार प्रवर्तित शाजापुर विकास योजना 2021 में उपांतरण की पुष्टि करती है. उपांतरण ब्यौरे एवं शर्तें निम्नानुसार हैं :—

अनुसूची

क्रमांक	ग्राम	खसरा क्र.	क्षेत्रफल हेक्टेयर में	विकास योजना में निर्दिष्ट भू-उपयोग	उपांतरण पश्चात् उपांतरित भू-उपयोग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	बोर्डी	450/2/1	2.62 में से 1.65	कृषि एवं प्रस्तावित मार्ग	आवासीय एवं मार्ग (अटल आश्रय योजना हेतु).
		450/2/2	1.20		
		कुल रकबा	2.85 हेक्टेयर		

शर्तें.—

1. ग्राम बोडीं एवं ग्राम गिरवर की सीमा पर विकास योजना में प्रस्तावित 24.00 मीटर चौड़े मार्ग का विकास मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल को करना आवश्यक होगा.
2. स्थल पर योजना का क्रियान्वयन मंडल के पक्ष में भूमि के आवंटन के उपरान्त ही किया जाये.
3. उपरोक्त उपांतरण शाजापुर विकास योजना 2021 को एकीकृत भाग होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शुभाशीष बैनर्जी, उपसचिव.

ऊर्जा विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 2 जुलाई 2018

क्र. एफ 13-39-2016-तेरह.—यत:, मेसर्स ट्राईडेंट ग्रुप द्वारा वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग (अब उद्योग नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग) के आदेश क्रमांक एफ-16-34-2015-बी-ग्यारह, दिनांक 2 अप्रैल, 2016 द्वारा रुपये 2320.02 करोड़ के निवेश से बुदनी, जिला सीहोर में प्रस्तावित उनके मेगा इण्डस्ट्रीयल टेक्सटाईल हब को प्रदान की गई विभिन्न सुविधाओं का त्याग कर दिया गया है;

(2) अतएव, मध्यप्रदेश विद्युत शुल्क अधिनियम, 2012 (क्रमांक 17 सन् 2012) की धारा 5 के खण्ड (तीन) के उप-खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, दिनांक 15 जुलाई, 2016 को मध्यप्रदेश राजपत्र (साधारण) में प्रकाशित, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-13-39-2016-तेरह, दिनांक 2 जुलाई, 2016 को तथा इस अधिसूचना के अधीन मेसर्स ट्राईडेंट ग्रुप द्वारा प्राप्त की गई विद्युत् शुल्क से छूट, यदि कोई हो, को वापस लेते हुए विखंडित करती है.

No. F-13-39-2016-XIII.—Whereas, M/s Trident Group has surrendered various facilities granted vide Commerce, Industries and Employment Department's (Now Department of Industry Policy and Investment Promotion) order No. F 16-34-2015-B-XI, dated 2nd April, 2016 to their Mega Industrial Textile Hub, proposed in Budhni, District Sehore at an investment of Rs. 2320.02 Crore.

(2) Now, therefore, in exercise of the powers conferrred by sub clause (b) of clause (iii) of Section 5 of the Madhya Pradesh Vidyut Shulk Adhiniyam, 2012 (No. 17 of 2012), the State Government, hereby, rescinds this department's notification No. F-13-39-2016-XIII, dated 2nd July 2016 published in Madhya Pradesh Gazette (Ordinary) on 15th July, 2016 and withdraws exemption from payment of electricity duty, if any, availed by M/s Trident Group under this notification.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. के. चतुर्वेदी, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.

महिला एवं बाल विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 3 जुलाई 2018

क्र. 1560-2002-2018-पचास-2.—राज्य शासन, एतद्द्वारा किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 27 की उपधारा (1) तथा (2) [सहपठित नियम 2016 का नियम 88 (10)] द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में यथाविनिर्दिष्ट जिले के लिये कॉलम (3) में उल्लेखित व्यक्तियों को बाल कल्याण समिति में अध्यक्ष/सदस्य के रूप में अधिसूचना जारी दिनांक से तीन वर्ष के लिये पदांकित करता है :—

क्र.	जिले का नाम	आरक्षित (महिला)	(अनारक्षित) सदस्य
(1)	(2)		(3)
1	झाबुआ	-	1. श्री दीपेश सकलेचा

क्र. 1562-2001-2018-पचास-2.—राज्य शासन, एतद्द्वारा किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 27 की उपधारा (1) तथा (2) [सहपठित नियम 2016 का नियम 88(10)] द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में यथाविनिर्दिष्ट जिले के लिये कॉलम (3) में उल्लेखित व्यक्तियों को बाल कल्याण समिति में अध्यक्ष/सदस्य के रूप में अधिसूचना जारी दिनांक से तीन वर्ष के लिये पदांकित करता है :—

क्र.	जिले का नाम	अध्यक्ष पद हेतु (अनारक्षित)	आरक्षित (महिला) सदस्य	(अनारक्षित) सदस्य
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	उज्जैन	1. श्री लोकेन्द्र शर्मा	श्रीमती विनीता कासलीवाल	1. श्री दिलीप भार्गव 2. श्री जगदीश शर्मा 3. श्रीमती वर्षा व्यास
2	झाबुआ	श्रीमती निवेदिता सक्सेना	श्रीमती ममता तिवारी	1. श्री गोपाल सिंह पवार 2. श्रीमती चेतना नीलेश सकलेचा 3. श्री यशवंत भण्डारी
3	अशोकनगर	श्री ओमप्रकाश शर्मा	श्रीमती मुक्ति परमार	1. श्री राजकुमार सिंह रघुवंशी 2. श्री विष्णु नारायण बिरथरे 3. श्रीमती अर्चना शर्मा

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. के. ठाकुर, उपसचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी, सिवनी, मध्यप्रदेश

सिवनी, दिनांक 18 जून 2018

क्र. 3141-एस.टी.-2018.—कार्यालय द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों में आंशिक संशोधन करते हुये उप जिला निर्वाचन अधिकारी, केन्द्रीय निर्वाचन का प्रभार अपर कलेक्टर श्रीमती रानी बाटड के स्थान पर पूर्वानुसार श्री कामेश्वर चौबे, संयुक्त कलेक्टर को सौंपा जाता है.

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

गोपाल चन्द्र डाड, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी.

कार्यालय, जिला मजिस्ट्रेट जिला मन्दसौर, मध्यप्रदेश

मन्दसौर, दिनांक 25 जून 2018

प्र. क्र. 877-सा.ले-2018.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973/1974 की धारा 2 के खण्ड एस में पुलिस थाना का स्थानीय क्षेत्र विनिर्दिष्ट करने की राज्य शासन की शक्तियां मध्यप्रदेश शासन, गृह (पुलिस) विभाग, भोपाल के परिपत्र क्रमांक एफ-2(4)15-99-बी-3-दो, भोपाल दिनांक 11 अक्टूबर 2004 एवं ज्ञाप क्रमांक एफ-2 (क) 09-08-बी-3-दो, दिनांक 30 जुलाई 2010 से जिले के भीतर कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक एवं जिला अभियोजन अधिकारी की समिति में निहित की गई है. उपरोक्तानुसार प्राप्त समिति के निर्णय दिनांक 25 जून 2018 अनुसार दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 2 के खण्ड एस के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, स्तंभ क्रमांक (1) में वर्णित

राजस्व ग्रामों या उसके भाग को स्तंभ क्रमांक (2) में वर्णित पुलिस थाने के स्थानीय क्षेत्र से उन्मोचित करते हुए स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित पुलिस थानों/चौकी के स्थानीय क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है:—

क्रमांक	राजस्व ग्राम/क्षेत्र का नाम स्तंभ क्रमांक-1	वर्तमान थाना क्षेत्राधिकार स्तंभ क्रमांक-2	थाना/चौकी क्षेत्र जिसमें सम्मिलित किया गया स्तंभ क्रमांक-3
(1)	(2)	(3)	(4)
1	मिर्जापुर	थाना वायडी नगर, मन्दसौर	थाना नई आबादी मन्दसौर
2	बूचाखेडी	थाना वायडी नगर, मन्दसौर	थाना नई आबादी मन्दसौर
3	नोलक्खाबीड (हवाईपट्टी)	थाना वायडी नगर, मन्दसौर	थाना नई आबादी मन्दसौर
4	बादाखेडी	थाना वायडी नगर, मन्दसौर	थाना नई आबादी मन्दसौर
5	डोराना	थाना वायडी नगर, मन्दसौर	थाना नई आबादी मन्दसौर
6	अघोरिया	थाना वायडी नगर, मन्दसौर	थाना नई आबादी मन्दसौर
7	राजाखेडी	थाना वायडी नगर, मन्दसौर	थाना नई आबादी मन्दसौर
8	रिछाबच्चा	थाना वायडी नगर, मन्दसौर	थाना नई आबादी मन्दसौर
9	साकरिया	थाना वायडी नगर, मन्दसौर	थाना नई आबादी मन्दसौर
10	खिड़की माता मंदिर	थाना वायडी नगर, मन्दसौर	थाना नई आबादी मन्दसौर
11	गोरखेडी	थाना वायडी नगर, मन्दसौर	थाना नई आबादी मन्दसौर
12	अचेरा	थाना वायडी नगर, मन्दसौर	थाना नई आबादी मन्दसौर
13	खजुरी बड़ायला	थाना वायडी नगर, मन्दसौर	थाना नई आबादी मन्दसौर
14	बरखेड़ी	थाना वायडी नगर, मन्दसौर	थाना नई आबादी मन्दसौर
15	भालोट	थाना वायडी नगर, मन्दसौर	थाना नई आबादी मन्दसौर
16	नयाखेड़ा	थाना वायडी नगर, मन्दसौर	थाना नई आबादी मन्दसौर
17	निपानिया मेघराज	थाना वायडी नगर, मन्दसौर	थाना नई आबादी मन्दसौर
18	सोनगरी	थाना वायडी नगर, मन्दसौर	थाना नई आबादी मन्दसौर
19	सेजपुरिया	थाना वायडी नगर, मन्दसौर	थाना नई आबादी मन्दसौर
20	अजीजखेड़ी	थाना वायडी नगर, मन्दसौर	थाना नई आबादी मन्दसौर
21	सेतखेडी	थाना वायडी नगर, मन्दसौर	थाना नई आबादी मन्दसौर
22	सौंधनी	थाना वायडी नगर, मन्दसौर	थाना नई आबादी मन्दसौर
23	मेनपुरिया	थाना शहर कोतवाली, मन्दसौर	थाना नई आबादी मन्दसौर
24	जयपुरा	थाना शहर कोतवाली, मन्दसौर	थाना नई आबादी मन्दसौर
25	खिलचीपुरा	थाना शहर कोतवाली, मन्दसौर	थाना नई आबादी मन्दसौर
26	नालछा	थाना शहर कोतवाली, मन्दसौर	थाना नई आबादी मन्दसौर
27	अरनिया मीणा	थाना नाहरगढ़	थाना नई आबादी मन्दसौर

(1)	(2)	(3)	(4)
28	स्नेहनगर, कल्पना, नगर, अभिनन्दन नगर मेन, तिलक नगर, 500 क्वार्टर टिगरिया, कर्मचारी कालोनी, शान्तनु विहार, अग्रसेन नगर, पशुपतिनाथ विहार, लक्ष्मीनगर, इन्द्रानगर, इन्द्रा कालोनी, नानेश विहार, मिड इण्डिया कालोनी 11 खोली, नन्दानगर, गीता भवन, महावीर कालोनी, मयूर कालोनी, नूर कालोनी, आदिनाथ विहार, चौधरी कालोनी.	थाना नई आबादी मन्दसौर	थाना कोतवाली, मन्दसौर
29	अलावदा खेड़ी	थाना नई आबादी, मन्दसौर	थाना कोतवाली, मन्दसौर
30	बोहरा खेड़ी	थाना नई आबादी, मन्दसौर	थाना वायडी नगर, मन्दसौर
31	ढिकोला	थाना नई आबादी, मन्दसौर	थाना वायडी नगर, मन्दसौर
32	चिकलिया	थाना नई आबादी, मन्दसौर	थाना वायडी नगर, मन्दसौर
33	जग्गाखेड़ी	थाना नई आबादी, मन्दसौर	थाना वायडी नगर, मन्दसौर
34	साबाखेड़ा	थाना नई आबादी, मन्दसौर	थाना वायडी नगर, मन्दसौर
35	मुंदड़ी	थाना नई आबादी, मन्दसौर	थाना वायडी नगर, मन्दसौर
36	रूपावली	थाना नई आबादी, मन्दसौर	थाना वायडी नगर, मन्दसौर
37	डोडियामीणा	थाना नई आबादी, मन्दसौर	थाना वायडी नगर, मन्दसौर
38	बोरखेड़ा	थाना नई आबादी, मन्दसौर	थाना वायडी नगर, मन्दसौर
39	भुखी	थाना नई आबादी, मन्दसौर	थाना वायडी नगर, मन्दसौर
40	राजीव कालोनी	थाना नई आबादी, मन्दसौर	थाना वायडी नगर, मन्दसौर
41	नवकारगोल्ड कालोनी	थाना नई आबादी, मन्दसौर	थाना वायडी नगर, मन्दसौर
42	रितुराज कालोनी	थाना नई आबादी, मन्दसौर	थाना वायडी नगर, मन्दसौर
43	राज कालोनी	थाना नई आबादी, मन्दसौर	थाना वायडी नगर, मन्दसौर
44	पटेल नगर	थाना नई आबादी, मन्दसौर	थाना वायडी नगर, मन्दसौर
45	अरेरा कालोनी	थाना नई आबादी, मन्दसौर	थाना वायडी नगर, मन्दसौर
46	रोशन कालोनी	थाना नई आबादी, मन्दसौर	थाना वायडी नगर, मन्दसौर
47	नाहर सय्यद	थाना नई आबादी, मन्दसौर	थाना वायडी नगर, मन्दसौर
48	बापू नगर	थाना नई आबादी, मन्दसौर	थाना वायडी नगर, मन्दसौर
49	संजय हिल्स	थाना नई आबादी, मन्दसौर	थाना वायडी नगर, मन्दसौर
50	अंशुल विहार	थाना नई आबादी, मन्दसौर	थाना वायडी नगर, मन्दसौर
51	कराडिया	थाना नाहरगढ़	थाना सीतामऊ
52	खेड़ी	थाना नाहरगढ़	थाना सीतामऊ
53	डीगांव खुर्द	थाना नाहरगढ़	थाना अफजलपुर

ओमप्रकाश श्रीवास्तव, जिला मजिस्ट्रेट एवं पदेन उपसचिव (गृह).

संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश मध्यप्रदेश, भोपाल

ई-5, पर्यावरण परिसर, अरेरा कालोनी, हबीबगंज पुलिस थाना के पास, भोपाल—462 016

भोपाल, दिनांक 2 जुलाई 2018

चाकघाट विकास योजना 2021 में प्रस्तावित उपांतरण की सूचना

क्र. 3735-वि.यो. 496-2018.—एतद्द्वारा, सूचना दी जाती है कि चाकघाट विकास योजना 2021 में उपांतरण का प्रारूप मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973), की धारा 23 सहपठित धारा 18 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार निम्नलिखित अनुसूची में प्रकाशित किया गया है. जिसकी प्रति निरीक्षण के लिये निम्न कार्यालयों में उपलब्ध है:—

1. आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा
2. कलेक्टर, रीवा, जिला रीवा
3. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, रीवा
4. मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगर परिषद्, चाकघाट

अनुसूची

क्र.	विकास योजना (नगर का नाम)	विकास योजना में भूमि में उपयोग	अध्याय	विकास योजना की सारणी/ कंडिका क्रमांक	सारणी/ कंडिका/ कॉलम का सरल क्रमांक	उपांतरण प्रस्ताव उपांतरित कॉलम क्रमांक (5) एवं कॉलम क्रमांक (6) में अतिरिक्त प्रस्तावित स्वीकृत एवं स्वीकार्य उपयोग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	चाकघाट विकास योजना 2021.	सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक	6	6-सा-13	4	सूचना प्रौद्योगिकी* एवं गैर प्रदूषणकारी उद्योग**
		कृषि	6	6-सा-13	7	सूचना प्रौद्योगिकी*, गैर प्रदूषणकारी उद्योग** कृषि पर्यटन सुविधा *** गोदाम के स्थान पर समस्त प्रकार के भण्डारण जो सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकार्य होंगे.

व्याख्या—

i *सूचना प्रौद्योगिकी से तात्पर्य है कि मध्यप्रदेश शासन द्वारा सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग की नीति पत्र में वर्णित उद्योग एवं संस्थायें.

ii **गैर प्रदूषणकारी उद्योग से तात्पर्य है कि मध्यप्रदेश प्रदूषण निवारण मंडल द्वारा सफेद श्रेणी में वर्गीकृत उद्योग.

iii ***कृषि पर्यटन सुविधा से तात्पर्य है कि मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 17(क) में वर्णित अनुसार.

टीप:—उपरोक्त i एवं ii के भूखण्ड हेतु पहुंच मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई 12.0 मीटर होगी.

प्रस्तावित उपांतरण के ब्यौरे सूचना प्रकाशन की तिथि से 30 दिन की समयावधि के लिये आम जनता के निरीक्षण हेतु www.mptownplan.gov.in वेबसाईट पर भी उपलब्ध होंगे. यदि कोई आपत्ति या सुझाव प्रारूप उपांतरण के संबंध में हों, उसे लिखित में कार्यालयीन समय में नगर तथा ग्राम निवेश के उपरोक्त वर्णित जिला कार्यालय में ''मध्यप्रदेश राजपत्र'' में सूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन की अवधि का अवसान होने के पूर्व, सम्यक् विचार हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है.

सलकनपुर विकास योजना 2021 में प्रस्तावित उपांतरण की सूचना

क्र. 3730–वि.यो. 496–2018.—एतद्द्वारा, सूचना दी जाती है कि सलकनपुर विकास योजना 2021 में उपांतरण का प्रारूप मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973), की धारा 23 सहपठित धारा 18 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार निम्नलिखित अनुसूची में प्रकाशित किया गया है. जिसकी प्रति निरीक्षण के लिये निम्न कार्यालयों में उपलब्ध है:—

1. आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल
2. कलेक्टर, सीहोर, जिला सीहोर
3. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, भोपाल
4. मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगर परिषद्, सलकनपुर (रेहटी)

अनुसूची

क्र.	विकास योजना (नगर का नाम)	विकास योजना में भूमि में उपयोग	अध्याय	विकास योजना की सारणी/ कंडिका क्रमांक	सारणी/ कंडिका/ कॉलम का सरल क्रमांक	उपांतरण प्रस्ताव उपांतरित कॉलम क्रमांक (5) एवं कॉलम क्रमांक (6) में अतिरिक्त प्रस्तावित स्वीकृत एवं स्वीकार्य उपयोग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	सलकनपुर विकास योजना 2021.	सार्वजनिक एवं अर्द्ध–सार्वजनिक	6	6–सा–13	4	सूचना प्रौद्योगिकी* एवं गैर प्रदूषणकारी उद्योग**
		कृषि	6	6–सा–13	7	सूचना प्रौद्योगिकी*, गैर प्रदूषणकारी उद्योग** कृषि पर्यटन सुविधा *** एवं गोदाम के स्थान पर समस्त प्रकार के भण्डारण जो सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकार्य होंगे.

व्याख्या—

i *सूचना प्रौद्योगिकी से तात्पर्य है कि मध्यप्रदेश शासन द्वारा सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग की नीति पत्र में वर्णित उद्योग एवं संस्थायें.

ii **गैर प्रदूषणकारी उद्योग से तात्पर्य है कि मध्यप्रदेश प्रदूषण निवारण मंडल द्वारा सफेद श्रेणी में वर्गीकृत उद्योग.

iii ***कृषि पर्यटन सुविधा मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 17(क) अनुसार.

टीप:—उपरोक्त i एवं ii के भूखण्ड हेतु पहुंच मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई 12.0 मीटर होगी.

प्रस्तावित उपांतरण के ब्यौरे सूचना प्रकाशन की तिथि से 30 दिन की समयावधि के लिये आम जनता के निरीक्षण हेतु www.mptownplan.gov.in वेबसाईट पर भी उपलब्ध होंगे. यदि कोई आपत्ति या सुझाव प्रारूप उपांतरण के संबंध में हों, उसे लिखित में कार्यालयीन समय में नगर तथा ग्राम निवेश के उपरोक्त वर्णित जिला कार्यालय में ''मध्यप्रदेश राजपत्र'' में सूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन की अवधि का अवसान होने के पूर्व, सम्यक् विचार हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है.

राहुल जैन, संचालक.

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 9 जुलाई 2018

सूचना

क्र. एफ. 1-9-2018-सात-6.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (1959 का क्रमांक 20) की धारा 13 की उपधारा (2) के परन्तुक के प्रतिबंध में निहित उपबंध के अनुसरण में, एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि उक्त धारा की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में राज्य शासन, वर्तमान जिला टीकमगढ़ की सीमाओं को परिवर्तित करने तथा नवीन जिला निवाड़ी सृजित करने का एवं निम्न अनुसूची में निर्दिष्ट किए गए रूप में उनकी सीमाओं को परिभाषित करने का प्रस्ताव करता है.

2. ''मध्यप्रदेश राजपत्र'' में इस सूचना के प्रकाशन होने के दिनांक से 60 दिन की समाप्ति पर विचार किया जायेगा तथा उसके संबंध में कोई भी आपत्तियां या सुझाव लिखित रुप में मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग के सचिव के पास उक्त कालावधि समाप्त होने के पूर्व प्रेषित किये जा सकेंगे :—

अनुसूची

क्र.	जिला	परिवर्तन का प्रकार	सीमाएं
(1)	(2)	(3)	(4)
1	टीकमगढ़	वर्तमान टीकमगढ़ जिले से तहसील निवाड़ी ओरछा एवं पृथ्वीपुर का अपवर्जन.	**पूर्व में**—जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश **पश्चिम में**—जिला ललितपुर, उत्तरप्रदेश **उत्तर में**—जिला झांसी, उत्तरप्रदेश एवं प्रस्तावित जिला निवाड़ी, मध्यप्रदेश. **दक्षिण में**—जिला ललितपुर, उत्तरप्रदेश एवं जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश.
2	निवाड़ी	वर्तमान टीकमगढ़ जिले की सम्पूर्ण तहसील निवाड़ी, ओरछा एवं पृथ्वीपुर को समाहित करते हुए नए जिले निवाड़ी का सृजन.	**पूर्व में**—जिला झांसी, उत्तरप्रदेश **पश्चिम में**—जिला झांसी, उत्तरप्रदेश **उत्तर में**—जिला झांसी, उत्तरप्रदेश **दक्षिण में**—जिला टीकमगढ़, मध्यप्रदेश (शेष).

3. प्रशासनिक चुस्ती एवं सक्षमता, विकास की गति में तीव्रता और जनसुविधा तथा जनता के अनावश्यक खर्च की बचत के उद्देश्य से परिवर्तन/सृजन प्रस्तावित है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अरूण पाण्डेय, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 9 जुलाई 2018

क्र. एफ-1-9-2018-सात-6.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की सूचना क्रमांक एफ-1-9-2018-सात-6, दिनांक 9 जुलाई 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरूण पाण्डेय, प्रमुख सचिव.

NOTICE

Bhopal, the 9th July 2018

No. F 1-9-2018-VII-6-809.—In pursuance of the provision contained in the proviso to sub-section (2) of Section 13 of the Madhya Pradesh Land Revenue code, 1959 (No 20 of 1959)' notice is hereby given that in exercise of the power conferred by sub-section (2) of the said section, the state Government propose to alter the limits of district Tikamgarh and to create a new district Niwari and to define the limits thereof as specified in the schedule below.

2. The proposal will be taken into consideration on the expiry of sixty days from the date of publication of this notice in the "Madhya pradesh Gazette" and any objection or suggestion in respect thereof may be forwarded, in writing to the secretary to Government of Madhya Pradesh, Revenue Department, before the expiry of the said period:—

SCHEDULE

No. (1)	Disrtict (2)	Nature of change (3)	Limits (4)
1	Tikamgarh	Exclusion of Tehsil Niwari, Orchha and PrithviPur from the present District Tikamgarh.	**In East.**—District Chhatapur, Madhya Pradesh. **InWest.**—District Lalitpur, Uttar Pardesh. **In North.**—District Jhansi, Uttar Pradesh and Proposed District Niwari, Madhya Pradesh **In South.**—District Lalitpur, Uttar and District Chhatarpur Madhya Pradesh
2	Niwari	Creation of a new district Niwari by inclusion of the whole Tehsil Niwari, Orchha and Prithvipur of present District Tikamgarh.	**In East.**—District Jhansi, Uttar Pradesh. **In West.**—District Jhansi, Uttar Pardesh. **In North.**—District Jhansi, Uttar Pradesh **In South.**—District Tikamgarh, Madhya Pradesh (Remaining).

3. The change/creation is proposed to bring about administrative efficiency and efficacy, accelerate the pace of development and for public convenience and to avoid unnecessary cost of Public.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
ARUN PANDEY, Principal Secy.

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

ग्वालियर, दिनांक 8 फरवरी 2018

प्र. क्र. 10-अ-82-2017-18-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों को पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. मुख्य नहर/माईनर नहर/सब-माईनर नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है. इस कारण धारा 11(3) के तहत् सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है: —

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा (12) की उपधारा (2) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का नाम
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			सर्वे नंबर	रकबा (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
ग्वालियर	ग्वालियर	पारसेन	3287/1 मिन-4	0.025	कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्रमांक 2, डबरा, जिला ग्वालियर.	हरसी उच्चस्तरीय मुख्य नहर की शीतला माता शाखा नहर के निर्माण हेतु.
			699/2	0.046		
			योग . .	0.071		

भूमि का नक्शा (प्लान) न्यायालय, भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राहुल जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छिन्दवाड़ा, दिनांक 11 जून 2018

क्र. 6065-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, एतद्द्वारा, सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

(2) मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22 (ए)-101-2016-एमपीएस-31-1875 भोपाल, दिनांक 14 सितम्बर 2016 के द्वारा योजना के प्राक्कलन की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है.

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि राज्य शासन की महत्वकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है, ''भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6(2) के अंतर्गत ''सिंचाई परियोजनाओं की बाबत जहां तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होंगे.'' अत: अधिनियम की धारा 6 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

(3) इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिंदवाड़ा	चॉद	ग्राम-आमगांव, प.ह.नं. 40, ब.न.-04, रा.नि.मं.-चॉद.	रकबा-08.160 हेक्टेयर एवं उपरोक्त भूमि पर आने वाली परिसंपत्तियां.	भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-चौरई, जिला छिंदवाड़ा.	पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना के अंतर्गत खैरघाट उपवितरक नहर की 13 आर, 14 आर, 15 एल. माईनर एवं 14 आर. की 1 आर, 15 एल. की 1 आर सब-माईनर निर्माण के लिये निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) छिंदवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक-2 छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 6066-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, एतद्द्वारा, सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

(2) मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22 (ए)-101-2016-एमपीएस-31-1875 भोपाल, दिनांक 14 सितम्बर 2016 के द्वारा योजना के प्राक्कलन की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है.

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि राज्य शासन की महत्वकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है, "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6(2) के अंतर्गत "सिंचाई परियोजनाओं की बाबत जहां तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होंगे." अत: अधिनियम की धारा 6 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

(3) इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिंदवाड़ा	चॉद	ग्राम-पौनिया, प.ह.नं. 40, ब.न.-181, रा.नि.मं.-चॉद.	रकबा-03.750 हेक्टेयर एवं उपरोक्त भूमि पर आने वाली परिसंपत्तियां.	भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-चौरई, जिला छिंदवाड़ा.	पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना के अंतर्गत खैरघाट उपवितरक नहर की 11 आर, 12 आर, 16 आर. माईनर आर. माईनर निर्माण के लिये निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) छिंदवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांध जल संसाधन संभाग क्रमांक नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट पर नहर उपसंभाग क्रमांक 2 छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 6067-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, एतद्द्वारा, सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

(2) मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22 (ए)-101-2016-एमपीएस-31-1875 भोपाल, दिनांक 14 सितम्बर 2016 के द्वारा योजना के प्राक्कलन की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है.

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि राज्य शासन की महत्वकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है, "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6(2) के अंतर्गत "सिंचाई परियोजनाओं की बाबत जहां तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होंगे." अत: अधिनियम की धारा 6 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

(3) इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिंदवाड़ा	चॉंद	ग्राम-पिपरियाखाती, प.ह.नं. 47, ब.न.-167, रा.नि.मं.-चॉंद.	रकबा-06.000 हेक्टेयर एवं उपरोक्त भूमि पर आने वाली परिसंपत्तियां.	भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-चौरई, जिला छिंदवाड़ा.	पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना के अंतर्गत खैरघाट उपवितरक नहर की 14 एल., 2 आर. माईनर एवं 2 आर माईनर की 1 एल. सब-माइनर निर्माण के लिये निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) छिंदवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांध जल संसाधन संभाग क्रमांक नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट पर नहर उपसंभाग क्रमांक 2 छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 6068-भू.-अर्जन.-2018.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, एतद्द्वारा, सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि, राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

(2) मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22 (ए)-101-2016-एमपीएस-31-1875 भोपाल, दिनांक 14 सितम्बर 2016 के द्वारा योजना के प्राक्कलन की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है.

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन की महत्वकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है, ''भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6(2) के अंतर्गत ''सिंचाई परियोजनाओं की बाबत जहां तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होंगे.'' अत: अधिनियम की धारा 6 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

(3) इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिंदवाड़ा	चॉंद	ग्राम-टॉप प.ह.नं. 48, ब.न.-111, रा.नि.मं.-चॉंद.	रकबा-03.000 हेक्टेयर एवं उपरोक्त भूमि पर आने वाली परिसंपत्तियां.	भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-चौरई, जिला छिंदवाड़ा.	पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना के अंतर्गत खैरघाट उपवितरक नहर की 15 एल., 17 एल. माईनर निर्माण के लिये निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) छिंदवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर देखा जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई, जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 2 छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 6069-भू.-अर्जन.-2018.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, एतद्द्वारा, सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि, राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

(2) मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22 (ए)-101-2016-एमपीएस-31-1875 भोपाल, दिनांक 14 सितम्बर 2016 के द्वारा योजना के प्राक्कलन की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है.

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन की महत्वकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है, ''भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6(2) के अंतर्गत ''सिंचाई परियोजनाओं की बाबत जहां तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होंगे.'' अत: अधिनियम की धारा 6 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11(3) के अन्तर्गत सामाजकि समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

(3) इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होगें:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिंदवाड़ा	चॉद	ग्राम-खैरघाट, प.ह.नं. 41, ब.न.-52, रा.नि.मं.-चॉद.	रकबा-04.500 हेक्टेयर एवं उपरोक्त भूमि पर आने वाली परिसंपत्तियां.	भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-चौरई, जिला छिंदवाड़ा.	पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना के अंतर्गत खैरघाट उपवितरक नहर की 16 आर, 17 आर एवं टेल माईनर निर्माण के लिये निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) छिंदवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर देखा जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई, जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिखारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 2 छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वेद प्रकाश, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 12 जून 2018

पत्र क्र. 1123-प्रशा.-भू-अर्जन-प्रकाशन-2017-18.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि मझगंवा शाखा नहर योजना की मुख्य नहर, माइनर/ सब माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	कोटर	कोटर	0.500	कार्यपालन यंत्री, पक्का बांध संभाग क्र. 3, देवलोंद, जिला शहडोल.	पुरवा मुख्य नहर की मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 1125-प्रशा.-भू-अर्जन-18.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके नीचे दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि मझगंवा शाखा नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रघुराजनगर	सरबहना	1.50	कार्यपालन यंत्री, पक्का बांध संभाग क्र. 3, देवलोंद, जिला शहडोल.	बाणसागर परियोजना की मझगवॉ शाखा नहर हेतु.
		योग . .	1.50		

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

रीवा, दिनांक 15 जून 2018

प. क्र. 1157-प्रशा.-भू-अर्जन-18.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस द्वारा आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के हेतु प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के डगडगपुर वितरक में माइनर एवं सब-माइनर नहर्र में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	मनगवां	घोपी-151	0.500	कार्यपालन यंत्री, क्योंटी नहर संभाग, जिला रीवा, म. प्र.	डगडगपुर वितरक के माइनर क्र. 12 के नहर निर्माण कार्य हेतु.

प. क्र. 1159-प्रशा.-भू-अर्जन-18.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस द्वारा आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के हेतु प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के डगडगपुर वितरक में माइनर एवं सब-माइनर नहर्र में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	मनगवां	मढ़ासिगरान-432	0.500	कार्यपालन यंत्री, क्योंटी नहर संभाग, जिला रीवा, म. प्र.	डगडगपुर वितरक के माइनर क्र. 12 के नहर निर्माण कार्य हेतु.

प. क्र. 1161-प्रशा.-भू-अर्जन-18.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस द्वारा आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के हेतु प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के डगडगपुर वितरक में माइनर एवं सब-माइनर नहर्र में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही

पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	मनगवां	गंगे नं.1,120	0.500	कार्यपालन यंत्री, क्योंटी नहर संभाग, जिला रीवा, म. प्र.	डगडगपुर वितरक के माइनर क्र. 12 के नहर निर्माण हेतु.

प. क्र. 1163-प्रशा.-भू-अर्जन-18.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस द्वारा आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के हेतु प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के डगडगपुर वितरक में माइनर एवं सब-माइनर नहर्र में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	मनगवां	सिरसा-544	0.500	कार्यपालन यंत्री, क्योंटी नहर संभाग, जिला रीवा, म. प्र.	डगडगपुर वितरक के माइनर क्र. 12 के नहर निर्माण हेतु.

प. क्र. 1165-प्रशा.-भू-अर्जन-18.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस द्वारा आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के हेतु प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के डगडगपुर वितरक में माइनर एवं सब-माइनर नहर्र में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	मनगवां	मोहगढ़-511	0.500	कार्यपालन यंत्री, क्योंटी नहर संभाग, जिला रीवा, म. प्र.	बहुती नहर के चन्देह माइनर क्र. 9 के नहर निर्माण हेतु.

पत्र क्र. 1167-प्रशा.-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के डगडगपुर वितरक नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	मनगवां	टिकुरी-191	1.500	कार्यपालन यंत्री, क्योंटी नहर संभाग, जिला रीवा, म. प्र.	डगडगपुर वितरक के नहर निर्माण कार्य हेतु.

क्र. 1169-प्रशा.-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के चन्देह माइनर एवं सब माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	मनगवां	धवैया-289	0.500	कार्यपालन यंत्री, क्योंटी नहर संभाग, जिला रीवा, म. प्र.	बहुती नहर के चन्देह माइनर क्र. 12 के नहर निर्माण कार्य हेतु.

क्र. 1171-प्रशा.-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि, बहुती नहर के अमिलकी वितरक के माइनर एवं सबमाइनर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	रायपुर कर्चुलियान	सुरसा कला-609	3.000	कार्यपालन यंत्री, क्योंटी नहर संभाग, जिला रीवा, म. प्र.	बहुती नहर के अमिलकी वितरक के माइनर क्र. 7 के नहर निर्माण कार्य हेतु.

क्र. 1173-प्रशा.-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि, बहुती नहर के अमिलकी वितरक के माइनर एवं सब माइनर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	रायपुर कर्चुलियान	महसुआ-516	0.500	कार्यपालन यंत्री, क्योंटी नहर संभाग, जिला रीवा, म. प्र.	बहुती नहर के अमिलकी वितरक के माइनर क्र. 16 एवं 17 नहर निर्माण कार्य हेतु.

क्र. 1175-प्रशा.-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि, बहुती नहर के अमिलकी वितरक के माइनर एवं सबमाइनर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माई-नर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	रायपुर कर्चुलियान	ऐतला-37	0.100	कार्यपालन यंत्री, क्योंटी नहर संभाग, जिला रीवा, म. प्र.	बहुती नहर के अमिलकी वितरक के माइनर क्र. 13 के नहर निर्माण कार्य हेतु.

प. क्र. 1177-प्रशा.-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि, बहुती नहर के अमिलकी वितरक के माइनर एवं सबमाइनर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	रायपुर कर्चुलियान	सुरसा खुर्द-610	0.800	कार्यपालन यंत्री, क्योंटी नहर संभाग, जिला रीवा, म. प्र.	बहुती नहर के अमिलकी वितरक के माइनर क्र. 7 के नहर निर्माण कार्य हेतु.

प. क्र. 1179-प्रशा.-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि, बहुती नहर के अमिलकी वितरक के माइनर एवं सब माइनर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	रायपुर कर्चुलियान	अमिलिया-16	0.100	कार्यपालन यंत्री, क्योंटी नहर संभाग, जिला रीवा, म. प्र.	बहुती नहर के अमिलकी वितरक के माइनर क्र. 18 के नहर निर्माण कार्य हेतु.

प. क्र. 1181-प्रशा.-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि, बहुती नहर के अमिलकी वितरक के माइनर एवं सब माइनर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब माईनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस

कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	रायपुर कर्चुलियान	रौर-561	2.500	कार्यपालन यंत्री, क्योंटी नहर संभाग, जिला रीवा, म. प्र.	बहुती नहर के अमिलकी वितरक के माइनर क्र. 15 के नहर निर्माण कार्य हेतु.

प. क्र. 1183-प्रशा.-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि, बहुती नहर के अमिलकी वितरक के माइनर एवं सब माईनर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	रायपुर कर्चुलियान	कुइयां कला-90	0.100	कार्यपालन यंत्री, क्योंटी नहर संभाग, जिला रीवा, म. प्र.	बहुती नहर के अमिलकी वितरक के माइनर क्र. 2 एवं 3 के नहर निर्माण कार्य हेतु.

प. क्र. 1185-प्रशा.-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि, बहुती नहर के अमिलकी वितरक के माइनर एवं सब माइनर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	हुजूर	नवागांव-314	4.000	कार्यपालन यंत्री, क्योंटी नहर संभाग, जिला रीवा, म. प्र.	बहुती नहर के अमिलकी वितरक के माइनर क्र. 19 नहर निर्माण कार्य हेतु.

क्र. 1187-प्रशा.-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि, बहुती नहर के अमिलकी वितरक के माइनर एवं सब माईनर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	हुजूर	पुरैना-380	0.100	कार्यपालन यंत्री, क्योंटी नहर संभाग, जिला रीवा, (म. प्र.)	बहुती नहर के अमिलकी वितरक के माइनर क्र. 19 नहर निर्माण कार्य हेतु.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. एस. त्रिपाठी, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला शहडोल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

शहडोल, दिनांक 19 जून 2018

क्र. दस-भू-अर्जन-प्र. क्र. 17-अ-82-2017-18-3415.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013" की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
शहडोल	जयसिंहनगर	मढा	59.506	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 2, शहडोल मध्यप्रदेश.	हलफल नाला जलाशय निर्माण से प्रभावित निजी भूमि का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 2, शहडोल/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जयसिंहनगर, जिला शहडोल, मध्यप्रदेश के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. दस-भू-अर्जन-प्र. क्र. 18-अ-82-2017-18-3410.—चूंकि, राज्य शासन को प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: ''भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013'' की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
शहडोल	जयसिंहनगर	ठेंगरहा	1.888	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 2, शहडोल मध्यप्रदेश.	हलफल नाला जलाशय निर्माण से प्रभावित निजी भूमि का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 2, शहडोल/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जयसिंहनगर, जिला शहडोल मध्यप्रदेश के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. दस-भू-अर्जन-प्र. क्र. 19-अ-82-2017-18-3414.—चूंकि, राज्य शासन को प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: ''भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013'' की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
शहडोल	जयसिंहनगर	गिरूईबडी	18.189	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 2, शहडोल मध्यप्रदेश.	हलफल नाला जलाशय निर्माण से प्रभावित निजी भूमि का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 2, शहडोल/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जयसिंहनगर, जिला शहडोल मध्यप्रदेश के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. दस-भू-अर्जन-प्र. क्र. 20-अ-82-2017-18-3413.—चूंकि, राज्य शासन को प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: ''भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013'' की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
शहडोल	जयसिंहनगर	देवरी	2.824	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 2, शहडोल मध्यप्रदेश.	हलफल नाला जलाशय निर्माण से प्रभावित निजी भूमि का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 2, शहडोल/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जयसिंहनगर, जिला शहडोल मध्यप्रदेश के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. दस-भू-अर्जन-प्र. क्र. 21-अ-82-2017-18-3409.—चूंकि, राज्य शासन को प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013" की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
शहडोल	जयसिंहनगर	बैरिहा	1.943	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 2, शहडोल मध्यप्रदेश.	हलफल नाला जलाशय निर्माण से प्रभावित निजी भूमि का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 2, शहडोल/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जयसिंहनगर, जिला शहडोल मध्यप्रदेश के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. दस-भू-अर्जन-प्र. क्र. 22-अ-82-2017-18-3412.—चूंकि, राज्य शासन को प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013" की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
शहडोल	जयसिंहनगर	खपकौहा	0.060	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 2, शहडोल मध्यप्रदेश.	हलफल नाला जलाशय निर्माण से प्रभावित निजी भूमि का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 2, शहडोल/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जयसिंहनगर, जिला शहडोल मध्यप्रदेश के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. दस-भू-अर्जन-प्र. क्र. 23-अ-82-2017-18-3416.—चूंकि, राज्य शासन को प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013" की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
शहडोल	जयसिंहनगर	पहाड़िया	0.518	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 2, शहडोल मध्यप्रदेश.	हलफल नाला जलाशय निर्माण से प्रभावित निजी भूमि का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 2, शहडोल/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जयसिंहनगर, जिला शहडोल मध्यप्रदेश के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. दस-भू-अर्जन-प्र. क्र. 24-अ-82-2017-18-3411.—चूंकि, राज्य शासन को प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013" की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
शहडोल	जयसिंहनगर	अटरिया	1.986	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 2, शहडोल मध्यप्रदेश.	हलफल नाला जलाशय निर्माण से प्रभावित निजी भूमि का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 2, शहडोल/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जयसिंहनगर, जिला शहडोल मध्यप्रदेश के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनुभा श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सिवनी, दिनांक 26 जून 2018

प्र. क्र. 3371-जि.भू.अर्जन.-2018.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा (12) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

(2) इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में धारा 15 के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू होंगे :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/ रा.नि.मं.	ग्राम/प.ह.नं. ब. नं.	क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	तहसील- लखनादौन रा.नि.मं.- लखनादौन.	मुंडा ब. नं.-549 प.ह.नं.-89	1.24	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधान विभाग संभाग, क्र-1, सिवनी, जिला सिवनी.	मुंडा जलाशय के अंतर्गत नहर कार्य निर्माण हेतु.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी लखनादौन, जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) प्रकरण का निरीक्षण, कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1, सिवनी, जिला सिवनी के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन, उप संभाग, लखनादौन, जिला सिवनी के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप में कलेक्टर सिवनी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

गोपाल चंद्र डाड, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर

Jabalpur, the 18th June 2018

No. C-2886-III-6-3-57-IX—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 11 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974) and in supersession of its Notification No. C-1611-III-6-3-57-IX, Jabalpur, dated 8th April 2015, the High Court of Madhya Pradesh, hereby appoints the Judicial Magistrate, First Class shown in Column No. (2) of the Table below to be the Presiding Officer of the Court of Special Magistrate established by the Government of Madhya Pradesh for the trial of offences of Railway Property—(Unlawful possession) Act, 1966 (No. 29 of 1966) and under Section 137 to 147, 150 to 157, 159 to 168, 172 to 176 of the Indian Railways Act, 1989 (Act No. 24 of 1989) and for all other penal provisions of this Act in which Judicial Magistrate, First Class can take cognizance, arising within the Railway Lands running through the territories of Revenue Districts shown in Column No. (4) of the said Table with effects from the date of his assumption of charge of his office namely :—

TABLE

S. No.	Name of Magistrate	Head Quarter	Local Area
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Shri Harish Chandra Patel, XIIIth CJ-I & JMFC, Gwalior.	Gwalior	Gwalior, Morena, Bhind, Shivpuri, Datia, Tikamgarh, Chhatarpur, Sagar, Vidisha, Bhopal, Damoh, Satna, Sheopur, Jabalpur, Katni, Sidhi, Rewa, Guna, Ashoknagar, Shajapur, Rajgarh And Sehore.

जबलपुर, दिनांक 21/22 जून 2018

क्र. डी-4119-तीन-10-40-78 (आर्थिक अपराध).—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, उच्च न्यायालय, एतद्द्वारा अपनी अधिसूचना क्रमांक बी/2233/तीन-10-40-78 (आर्थिक अपराध), दिनांक 13 अप्रैल 2017 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, अनुक्रमांक 1 के स्तम्भ (2) की वर्तमान प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाये, अर्थात् :—

अनुसूची

क्र.	विशेष न्यायालय के पीठासीन अधिकारी का नाम	मुख्यालय	स्थानीय अधिकारिता (सिविल जिले)
(1)	(2)	(3)	(4)
"7	सुश्री निधी मोदिता पिंटों, न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, इंदौर.	इन्दौर	इन्दौर, झाबुआ, धार एवं अलीराजपुर.

No. C-4119-III-10-40-78 (Economic-Offences).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 11 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974), the High Court of Madhya Pradesh, hereby makes the following amendment in its Notification No. B-2233-III-10-40-78 (Economic-Offences), dated 13th April 2017, namely :—

AMENDMENT

In the Schedule to the said Notification, the existing entry in column No. (2) against Sr. No. 1 of the following entry shall be substituted, namely :—

SCHEDULE

S. No.	Name of the Presiding Officer of the Special Court	Head Quarter	Local Area (Civil Districts)
(1)	(2)	(3)	(4)
" 7	Ku. Nidhi Modita Pinto, JMFC, Indore.	Indore	Indore, Jhabua, Dhar & Alirazpur.

क्र. डी-4121-तीन-10-40-78 (आर्थिक अपराध).—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, एतद्द्वारा अपनी अधिसूचना क्रमांक बी/1813/तीन-10-40-78 (आर्थिक अपराध), दिनांक 29 अप्रैल 2015 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, अनुसूची में अनुक्रमांक 7 के खंड (2) तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित

अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियाँ स्थापित की जाएं, अर्थात् :—

अनुसूची

क्र.	विशेष न्यायालय के पीठासीन अधिकारी का नाम	मुख्यालय	स्थानीय अधिकारिता (सिविल जिले)
(1)	(2)	(3)	(4)
"7	श्री प्रवीण कुमार सिन्हा, न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, जबलपुर.	जबलपुर	जबलपुर, कटनी, दमोह, मंडला, रीवा, सतना, सीधी, सागर, पन्ना, छतरपुर, शहडोल".

No. D-4121-III-10-40-78 (Economic-Offences).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 11 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974), the High Court of Madhya Pradesh, hereby makes the following amendment in its Notification No.B-1813-III-10-40-78 (Economic-Offences), dated 29th April 2015, namely :—

AMENDMENT

In the Schedule to the said Notification, the existing entry in column No. (2) against Sr. No. 7 the following entries shall be substituted, namely :—

SCHEDULE

S. No.	Name of the Presiding Officer of the Special Court	Head Quarter	Local Area (Civil Districts)
(1)	(2)	(3)	(4)
"7	Shri Praveen Kumar Sinha, JMFC, Jabalpur.	Jabalpur	Jabalpur, Katni, Damoh Mandla, Rewa, Satna, Sidhi, Sagar, Panna, Chhatarpur, Shahdol.".

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
वरुण पुनासे, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (डी. ई.).

जबलपुर, दिनांक 15 जून 2018

क्र. C-2833-दो-2-62-2016.—श्री आर. एन. चंद, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, भोपाल को दिनांक 30 अप्रैल से 5 मई 2018 तक छह दिन के पूर्व स्वीकृत अर्जित अवकाश में से दिनांक 30 अप्रैल 2018 का एक दिन का अर्जित अवकाश, उक्त दिवस का सार्वजनिक अवकाश घोषित किये जाने के कारण निरस्त किया जाता है.

जबलपुर, दिनांक 28 जून 2018

क्र. B-3258-दो-2-25-2015.—श्री अनिल कुमार भाटिया, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, रतलाम को दिनांक 11 से 23 अगस्त 2018 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तेरह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री अनिल कुमार भाटिया, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, रतलाम को रतलाम पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अनिल कुमार भाटिया, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. D-4369-दो-2-46-2018.—श्री एस. बी. वर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बुरहानपुर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए)19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2015 से 31 अक्टूबर 2017 तक 2 दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

क्र. D-4371-दो-2-112-2017.—श्री योगेश दत्त शुक्ल, प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय भोपाल को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए)19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2015 से 31 अक्टूबर 2017 तक दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
यू. एस. दुबे, रजिस्ट्रार.

Jabalpur, the 14th June 2018

No. C-2793-III-6-5-14.—In exercise of the powers conferred u/s 11(2) of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974) and all other enabling provisions, the High Court of Madhya Pradesh hereby designates Courts of Additional Chief Judicial Magistrates specified in column No. (2) of the Table below for the areas specified in the corresponding entries in column No. (4) thereof to deal with the cases relating to/offences pertaining to VYAPAM Scam matters and other matters linked thereto investigated by Central Bureau of

Investigation, Delhi :—

TABLE

S. No.	Name of Court	Head Quarter	Territorial Jurisdiction
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Shri Manish Singh Thakur, VI, CJ-I & ACJM, Jabalpur.	Jabalpur	Jabalpur, Chhatarpur, Narsinghpur, Damoh, Seoni, Satna, Panna, Shahdol, Katni, Anoppur, Mandla, Sagar, Chhindwara, Rewa, Sidhi, Balaghat, Dindori, Umaria and Singrauli.
2.	Smt. Neelam Shukla, IV, CJ-I & ACJM, Indore.	Indore	Indore, Dhar, Ratlam, Jhabua, Mandsaur, W. N. Mandleshwar, Ujjain, Dewas, Shajapur, E. N. Khandwa, Neemuch, Barwani, Alirazpur and Burhanpur.
3	Shri Amzad Ali, VI, CJ-I ACJM Bhopal.	Bhopal	Bhopal, Sehore, Raisen, Vidisha, Betul, Hoshangabad, Rajgarh (Bioara) and Harda.

By order of the High Court,
SANAT KUMAR KASHYAP, Registrar (DE).

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 13 जून 2018

फा.क्र. 17(ई)8-2012-इक्कीस-ब(एक)2537-2018.—भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (1988 का 49 की) धारा 3 की उपधारा (1) के साथ पठित मध्यप्रदेश विशेष न्यायालय अधिनियम, 2011 (क्रमांक 8 सन् 2012) की धारा 3 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की सहमति से, एतद्द्वारा, इस विभाग की अधिसूचना फा. क्र. 17(ई) 8-2012-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 02 मार्च 2012 में जो मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) में दिनांक 02 मार्च 2012 को प्रकाशित हुई थी, निम्नलिखित संशोधन करता है :—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, अनुक्रमांक 4 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं :—

अनुसूची

अनु. क्रमांक	न्यायाधीश का नाम	मध्यप्रदेश विशेष न्यायालय अधिनियम 2011 की धारा 3(1) के अधीन गठित विशेष न्यायालय का नाम	मुख्यालय का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
4	श्री राजाराम बड़ोदिया, बारहवें अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश तथा पीठासीन न्यायाधीश, विशेष न्यायालय, क्रमांक 2, जबलपुर.	विशेष न्यायालय क्रमांक-2 जबलपुर.	जबलपुर

F. No. 17(E)8-2012-XXI-B(ONE)2537-2018.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 3 of the Madhya Pradesh Vishesh Nyayalaya Adhiniyam, 2011 (No. 8 of 2012) read with sub-section (1) of Section 3 of the Prevention of Corruption Act, 1988 (No. 49 of 1988) the State Government with the concurrence of the High Court of Madhya Pradesh, hereby makes the following amendment in this department's Notificaiton F. No. 17(E)8-2012-XXI-B(one), dated 2nd March 2012, which was published in the Madhya Pradesh Gazette (Extra-Ordinary) dated 2nd March 2012:—

AMENDMENT

In the said Notification for serial No. 4 and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto, shall be substituted, :—

SCHEDULE

S. No.	Name of the Judge	Name of the Special Court constituted u\s 3(1) of the Madhya Pradesh Vishesh Nyayalaya Adhiniyam 2011	Head-quarter
(1)	(2)	(3)	(4)
4	Shri Rajaram Badodia, XII ASJ & Presiding Judge Special Court No. 2, Jabalpur.	Special Court No. 2 Jabalpur.	Jabalpur

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सत्येन्द्र कुमार सिंह, प्रमुख सचिव.